समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

हनुमानगढ़ मे नंशीली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, 9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेसं निलंबित, एक का लाइसेसं निरस्त

राजेश चौधरी

Published on 19 Aug 2026

राजेश चौधरी | हनुमानगढ़ | समाचार वाणी न्यूज़

हनुमानगढ़ जिले में नशीली एवं नियंत्रित दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। **जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव** के निर्देश पर औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर औचक निरीक्षण किए गए।

निरीक्षण के दौरान नशीली दवाओं के क्रय-विक्रय से संबंधित नियमों और रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाए जाने पर **9 मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेसं निर्धारित अवधि के लिए निलंबित** कर दिए गए हैं। वहीं, **एक मेडिकल एजेसी का लाइसेसं निरस्त** किया गया है। इसके अलावा **तीन फार्मासिस्टों** के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को प्रकरण भेजे गए हैं।

9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

प्रशासन की कार्रवाई के तहत विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं।

मैसर्स मटोरिया मेडिकल स्टोर, पूरबसर का लाइसेंस 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

वहीं **मैसर्स श्री कृष्णा मेडिकल स्टोर** और **मैसर्स श्री श्याम मेडिकल स्टोर, पूरबसर** के लाइसेंस 15-15 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं।

इसके अलावा **मैसर्स एम.बी. मेडिकल एजेसी, पल्लू, मैसर्स रोहित मेडिकोज, टिब्बी, मैसर्स आर.के. मेडिकल स्टोर, मैसर्स महादेव मेडिकोज तथा मैसर्स अजय मेडिकल एंड जनरल स्टोर, रामसरा नारायण** के लाइसेंस 10-10 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं।

मैसर्स बालाजी मेडिकल एंड कॉस्मेटिक, रामसरा नारायण का लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

एक मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निरस्त

जांच के दौरान **मैसर्स शिव मेडिकोज एजेसी, टिब्बी** के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। एजेंसी का ड्रग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा **प्रेगाबालिन-300 और टेपेटांडोल युक्त दवाइयों** के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली किट के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार एजेंसी का लाइसेंस निरस्त किया गया।

तीन फार्मासिस्टों के खिलाफ भी कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के संबंध में **तीन फार्मासिस्टों** के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को प्रकरण भेजे गए हैं।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की बिक्री और रिकॉर्ड व्यवस्था में नियमों की पालना सुनिश्चित करना है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

सहायक औषधि नियंत्रक एवं लाइसेसिंग अथॉरिटी अजय कुमार सबल ने बताया कि जिले में नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

उन्होंने सभी औषधि विक्रेताओं से **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा संबंधित नियमों** की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अवहेलना करने वाले औषधि विक्रेताओं के खिलाफ भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हनुमानगढ़ मे नंशीली एवं नियंत्रित दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देश पर की गई कार्रवाई में **9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेसं निलंबित और टिब्बी स्थित एक मेडिकल एजेसी का लाइसेसं निरस्त** किया गया है। साथ ही तीन फार्मासिस्टों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को भेजा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/राजेश चौधरी, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.